□□□□ □□□□□

□□□ □त्रा□□□

(□□□□, **योग व प्राकृतिक चिकित्सा**, □□□□□, **सिद्ध एवं होम्यो**□□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 1095

07 □□□□ी, 2020 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

□□□f□□ □□f□□ं □□ □□□□□ि□□□

1095. **श्री** □□. □□. □□□□ □□**न्**□:

क्□□ □□□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक** f□f□त्□□, □□□□□, **सिद्ध** □□ **□म्□□□□** (□□□□) □त्री □□ □□□□□□ी □□□ □□□□f□:

(□) □□□□ □ी □□□प्रि□□□ □□□□□ □□□f□□ □□f□□ं □ी □□□ □ □द्धि □□ ध्□□□ □ □□□□□□□ आयुर्वदिक □□f□□ं □□□□□□ी□□□ □□f□□ क्□□ □□□ □□□□ □□ □□□□;

(□) □□f□□ं □□र्विनिमाण □ □□श्□□ चिकित्सा □□□□ं □□□□ष्□ □□□ब्□□□ सुनिश्चित □□□□□□f□□ क्□□ □□□ □□□□ □□ □; □□

(□) □□□□ □ □□□□त्□ f□□त्रा □□f□□ क्□□ □□□□ निर्धारि□ f□□ □□ □□□□ □□□ □□ □ि□□श्□□ □□□□□□ f□□ क्□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ f□ प्रत्येक □□□ □□ f□f□□□ f□□f□□ □□□□ं □□□□रू f□□□ □□□□ □?

<u>□त्□□</u>

<u>**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमा□ □□□)**</u>

(□): □□□□ □□□□□ □□□□□ □त्रा□□□ □□□□□□ □□□□□ f□f□त्□ □□□□म्□□□□ □ि□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□) स्थापित किया है, □□□□□ख्□ रूप से संबंधित □ि□□□□□□ □स्□□□□ □□ f□□f□□, संशोधित और प्रकाशित □□□□□□ □ि□□□ प्रा□□ है। आयुर्वदिक औषधियां के मानकाकरण संब□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□धीन आयुर्वदिक □ि□□□ समिति (□□□□□) □□ □□□□ □□□ □□ □□□f□□ □ि□□□ □□ आयुवद नुस्खा □□-संग्रह आयुर्वद□ □□f□□ं □□ □□□त्□ □□□□ी□□□ संबंधी आधिकारिक □ग्र□ □□□□ □□□ औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का पहला अनुसूची म शामिल किया गया □□□□□□ □□□□□ □□□ निर्माताओं को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमा□□ी 1945 □ f□रू□□ □□□□ं □□□□□□□ अनिवाय तौर पर करना होता है। 645 एकल औषधियां और 202 □□f□□ □□□ □□ं □□□□□□त्□ □□□□ं □□ f□f□□□ (□□□□ग्र□□) प्रकाशित किए जा चुके □ □□ आयुर्वदिक औषधियां के मानकाकरण का काय जारा है।

(□): □□□ □त्रा□□ □□□□ 2015-16 □राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित □□□□ □□□□□ी □,जिसके माध्यम से अन्य बातां के साथ-□□ □□□f□□, सिद्ध, □□□□ □□ □म्□□□□ □□f□□□□ □□□□ □□□□□f□□ प्रयोग म आने वाले औषधीय पादपां का खेती, नसरा, पादपां का □□□□ □□ □श्□□□प्र□□□, प्र□स्□□□, □□□त्□ □न्□□□ □□ प्र□□□ □□f□□ □ज्□ं □□ वित्तीय सहायता दा जाती है

□□ प्राथमिकता वाले 140 औषधीय पादपों की खेती पर आने वाली लागत पर 30 प्रतिशत, 50 प्रति□□□ □□ 75 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। कृषि-□□□□□, श्रेष्□ □ि□ □द्धति, □□ों □□□च□ी □□□ □□ संग्रहण कार्य और गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र को भी विकसित □□□□□□ प्र□□□-प्र□□□ कि□□ □□□ □□□□ि□ □□□ निर्माता उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में औषधीय पादप उपलब्ध कराए जा □□□

(□): आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के वि□निर्माण में प्रयुक्त औषधीय □□□□ों के विभिन्न भागों की पहचान, शुद्धता और क्षमता का मानकीकरण संबंधित □ि□□□ में निर्धारित है □□□□□ □□□ निर्माताओं को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम,1945 □□□□□□ों □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ अनिवार्य है। दांडिक प्र□□□□□ों □□□□□-साथ गुणवत्ता नियंत्रण के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 □ ब्रैं□ □ि□□, अप्रामाणिक, मिलावटी और घटिया औषधियों को परिभाषित कि□□ □□□ □□ □□□□ □□ प्रसाधन सामग्री नियम के अन्तर्गत निर्धारि□□ □त□□ □ि□□□□ पद्धतियों का उद्देश्य □□□त□□क□ □□ कि□□□□ रहित प्रामाणिक कच्चे माल का प्रयोग किया जाना सुनि□श्चि□□ □□□□ □□

*****